पी-13013/2/2019-डीडी-3-भाग (1) (19846)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003

दिनांक: 15 सितंबर, 2026

शुद्धिपत्र

विषय: क्यूआर-कोडित यूडीआईडी कार्ड के मुद्रण और प्रेषण के लिए एजेंसी के चयन हेतु निविदा के संबंध में शुद्धिपत्र।

उपरोक्त विषय पर दिनांक 08.09.2026 की निविदा संख्या पी-13013/2/2019-डीडी-3-भाग (1) (संदर्भ आईडी 2026_DEPwD_925370_1) का संदर्भ लें, जो क्यूआर-कोडित यूडीआईडी कार्ड के मुद्रण और प्रेषण के लिए एजेंसी के चयन से संबंधित है।

2. यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 08.09.2026 को सीपीपीपी पोर्टल और विभाग की वेबसाइट (https://depwd.gov.in/) पर प्रकाशित उपर्युक्त निविदा में कृपया निम्नलिखित संशोधन नोट किया जाए: -

क्र. सं.	खंड संदर्भ	के स्थान पर	पढ़ा जाए
1.	अनुबंध II – अनुपालन विवरण सह घोषणा, अनुभव क्षेत्र	डेटा प्रबंधन, डेटा प्रसंस्करण, बड़ी संख्या में पहचान पत्रों की छपाई एवं आपूर्ति से संबंधित 50 लाख रुपये से कम नहीं, किंतु 2 करोड़ रुपये से कम के कार्यादेशों के सफल निष्पादन का अनुभव – प्रत्येक कार्यादेश के लिए 3 अंक – अधिकतम 15 अंक। पिछले 5 वर्षों के दौरान डेटा प्रबंधन, डेटा प्रसंस्करण, बड़ी संख्या में पहचान पत्रों की छपाई एवं आपूर्ति से संबंधित सरकारी कार्यों (कार्यादेश का मूल्य 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक) के सफल निष्पादन का अनुभव – प्रत्येक कार्यादेश के लिए 4 अंक – अधिकतम 20 अंक। 2 करोड़ रुपये से कम नहीं, किंतु 5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यादेश – 25 अंक। 5 करोड़ रुपये से कम नहीं, किंतु 10 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यादेश – 30 अंक	भारत में केंद्र या राज्य सरकार के किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /स्वायत्त निकाय के कार्यादेश के अंतर्गत डेटा प्रबंधन, डेटा प्रसंस्करण, बड़ी संख्या में पहचान पत्र/प्लास्टिक/पीवीसी कार्डों की छपाई एवं आपूर्ति से संबंधित कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अनुभव पर मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा। प्रत्येक सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए व्यक्तिगत कार्य के विरुद्ध वास्तव में प्राप्त भुगतान को निम्नलिखित निविदा मूल्यांकन योजना के अनुसार माना जाएगा: (i) 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये से कम तक – प्रत्येक पात्र कार्यादेश के लिए 3 अंक, अधिकतम 15 अंक; (ii) 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये से कम तक – प्रत्येक पात्र कार्यादेश के लिए 4 अंक, अधिकतम 20 अंक;

			(iii) 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये से कम तक – 25 अंक; (iv) 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक – 30 अंक। *उपर्युक्त सभी मामलों में प्राप्त अंकों सहित अधिकतम कुल अंक 30 से अधिक नहीं होंगे।

3. अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ह0/-

(विनीत सिंघल)

निदेशक